न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या न0 12 / 2024

1 पितराम पुत्र श्री बृजलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

2 चिराग छुट्टी पुत्र अशोक

3 जयदेई पुत्री नेमीचन्द

4 पूनम पत्नी अशोक

5 बजरंगलाल पुत्र जोधाराम

6 बबली पुत्री नेमीचन्द

7 मनभरी पत्नी नेमीचन्द

8 विकास पुत्र नेमीचन्द

9 सुमन पुत्री नेमीचन्द

10 हर्षिता छुट्टी पुत्री अशोक

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

11 सुनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

12 रामचन्द्र पुत्र श्री भोपाल सिंह

13 राकेश कुमार पुत्र भोपाल सिंह

14 शारदा पुत्री भोपाल सिंह

15 सुरेश कुमार पुत्र भोपाल सिंह

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

16 अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश

17 धर्मपाल पुत्र लालचन्द

18 नरेश कुमार पुत्र लालचन्द

19 पूनम पुत्री ओमप्रकाश

20 भरत कुमार पुत्र लालचन्द

21 संतोष देवी पत्नी ओमप्रकाश

22 सुनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश

23 सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

24 उर्मिला देवी पत्नी सुभाषचन्द

25 डिम्पल पुत्री सुभाष चन्द

26 [illegible] कुमार पुत्र सुभाष चन्द

27 तारामणी पत्नी धर्मचन्द

28 हनुमान सिंह पुत्र धर्मचन्द

29 राकेश कुमार पुत्र धर्मचन्द

30 कुमोद पूजी धर्मचन्द
31 अनिता पूजी धर्मचन्द
32 सिलोचना पूजी धर्मचन्द
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)
33 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
34 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
35 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
36 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
37 झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये शाखा प्रबन्धक
38 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.06.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि आवेदक व अनावेदक से 24 लगायत 32 पाम शेखसर में स्थित जमीन हाल खसरा नं 121 394, 395, 396, 397, 396, 45, 47 कुल किता 8 कुल रकबा 12.50 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है।अनावेदक सं 1 लगायत 23 ग्राम शेखसर में स्थित जमीन हाल खसरा नं. 370, 371, 382, 383, 387, 641/404, 403 के खातेदार काश्तकार है। आवेदक व अनावेदक सं. 24 लगायत 32 के हिस्से के खेत खसरा नं. 394, 395, 396, 397, 398 में आने जाने का एक 20 फीट चौड़ा कदीमी रास्ता भूमि खसरा नं. 370, 371, 382, 383, 387, 641/404, 403 से होकर जाता है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज नही हुआ है।आवेदक अपनी सह खातेदारी काश्त की भूमि खेत खसरा नं. 394. 395, 396, 397, 398 में अनावेदक सं. 1 लगायत 23 की भूमि खेत खसरा नं. 370, 371, 382, 383, 387, 641/404, 403 से गुजरने वाले रास्ते से ही आता जाता है जो रास्ता मौके पर 20 फीट चौड़ा है। परन्तु अब अनावेदक सं. 1 लगायत 23 द्वारा आवेदक को उसकी भूमि खेत खसरा नं. 394, 395, 396, 397, 398 में उक्त रास्ते से जाने से इन्कार कर रहे है क्योंकि नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन नही है। आवेदक, अनावेदक सं. 1 लगायत 23 के खेत खसरा नं. 370, 371, 382, 383, 387, 641/404, 403 से गुजरने वाले रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।यह कि आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा नं. 370, 371, 382, 383, 387. 641/404, 403 से गुजरने वाले रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के लिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू के समक्ष लिखित में आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मण्डावा को निर्देशित किया गया जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 818 दिनांक 20.07.2023 को श्रीमान तहसीलदार महोदय मण्डावा से मौका रिपोर्ट मांगी गई जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय मण्डावा द्वारा पत्र क्रमांक 851 दिनांकित 03.08.2023 से पटवारी हल्का शेखसर व भू अभिलेख निरीक्षक भीमसर से मौके की रिपोर्ट भी मंगवाई गयी थी। श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश किये जाने पर पटवारी हल्का शेखसर व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.02.2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय

मण्डावा को मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की गई जिसमें मौके पर भूमि खसरा नं 370, 371, 382, 383, 387, 641/404, 403 मे से भूमि खसरा नं 394, 395, 396, 397, 398 तक कदीमी रास्ता प्रचलित होना माना गया है तथा मौके पर चालू होना भी माना गया है।परन्तु मौके पर सभी खातेदारान उपस्थित नही होने से सभी खातेदारान की सहमति नही मिलने के कारण उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज नही किया जा सका। इसलिये आवेदक को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।यह कि प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक द्वारा नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जिसे आवेदन पत्र का ही भाग माना जायें एवं आवेदन पत्र के साथ ही पढा जायें।आवेदक खेत खसरा नं 370, 371, 382, 383, 387, 641/404, 403 में से गुजरने वाले रास्ते से अपनी जमीन हाल खसरा नं 394, 395, 396, 397, 398 को काश्त करने के लिये आने जाने हेतु, कंटगाडी, ट्रेक्टर ले जाने हेतु आवश्यकता है। उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा राजस्व रिकॉर्ड में एवं नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे। मौजुदा आवेदन पत्र के लिये वादकारण अनावेदक सं. 1 व्लगायत 23 द्वारा उपरोक्त रास्ते से आवेदक के आवागमन में बाधा कारित करने व उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता दर्ज करवाने इन्कार करने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम शेखसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में अवस्थित भूमि खसरा नं. 370, 371, 382, 383 387 641/404, 403 मे से भूमि खसरा नं 394, 395, 396, 397, 398 तक प्रचलित कदीमी रास्ता को ग्राम शेखसर की हाल नक्शा शीट में आवेदन पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित लाल स्याही से मार्क क से ख को 20 फीट चौडाई का तरमीम कर हाल नक्शा शीट में अमल दरामद किया जाये तथा उक्त रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। अन्य सिद्धि जो आवेदक के हक में हो तथा भूल से चाहे जाने से रह गई हो हस्ब कायदा दिलवाई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 01,05,12,15 व 20 की ओर से अभिभाषक अरविन्द पुनियां उपस्थित परन्तु जबाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर जबाब पेश नही करने पर जबाबदेही बन्द की गई। अनावेदक संख्या 23 लगायत 27 स्वयं उपस्थित तथ जबाब पेश नहीं किया । अनावेदक संख्या 02 लगायत 04, 06 लगायत 11,13 लगायत 14, 16 लगायत 19, 21,22, 28 लगायत 28 वाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल लायी गई।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 781 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कि प्रार्थी पक्ष द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है जिसकी दुरी लगभग 1.50किलोमीटर है। जो सबसे निकटतम रास्ता है। बिन्दु ए से बी की दुरी 380 मीटर है । जिसका कुल क्षेत्रफल 1520वर्गमीटर है। उक्त रासता सबसे निकटतम है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 394, 395,396,397,398 में पहुंच बावत खसरा न. 399 व 417 में से निकटतम दुरी पर है। प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न.394, 395,396,397,398 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 417 व 399 में प्रस्तुत नजरी नक्शें के विन्दु "ए" से "वी" से रास्ते की लम्बाई 380 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा